

## टाप शीट

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/46

लागू करने की तिथि : 18.10.2012

भोजीपुरा-इज्जतनगर स्टेशन के मध्य गेट संख्या 231 (बी0जी0), 230 (एम0जी0 एवं बी0जी0 )के सम्बद्ध होने एवं किमी0 में परिवर्तन किये जाने के कारण भोजीपुरा स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/46 दिनांक 06.3.2012 की संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक 13.10.2012 संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया है।

### सामान्य भाग -

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1.1 एस0आई0पी0 एवं आर0डी0 संशोधित।
2. पृष्ठ संख्या 4 पैरा 2.6 (i) समपार संख्या 230, 231 जोड़े गये एवं समपार फाटक के किमी0 संशोधित।
3. पृष्ठ संख्या 11 पैरा 4.4, 5 (xii, xiii) वीडर काउन्टर ब्लाक यंत्र तथा एक्सल काउन्टर एवं समपार फाटक 230, 231 जोड़कर संशोधित।
4. पृष्ठ संख्या 14 पैरा 6.2 (घ) समपार संख्या 230, 231 जोड़े गये।
5. पृष्ठ संख्या 16 पैरा 6.6 (क), 6.6 (i) (घ) समपार संख्या 230, 231 जोड़े गये।
6. पृष्ठ संख्या 17 पैरा 8.1 (V) समपार फाटक की संख्या संशोधित।
7. पृष्ठ संख्या 18 पैरा 7, 7.1 संशोधित।
8. पृष्ठ संख्या 20 पैरा 8.3 (v) संशोधित।

### परिशिष्ट -

क- समपार 1/सी पृष्ठ संख्या 1 से 10 तक बदल कर संशोधित।

क -I समपार 3/सी पृष्ठ सं 1 पैरा 4, पृष्ठ सं 2 पैरा 8, पृष्ठ सं 5 पैरा 1.5(अ) (iii,iv,v,viii) पृष्ठ सं 7 पैरा (2.3) (2) संशोधित।

क-II समपार 228/सी पृष्ठ संख्या 1 से 10 बदल कर संशोधित।

क-III समपार 229/सी पृष्ठ संख्या 1 से 10 बदल कर संशोधित।

क-IV समपार 229ए/सी पृष्ठ सं 1 पैरा 1(1.1 (4,6,7), पृष्ठ सं 2 पैरा 8, पृष्ठ सं 5 पैरा 5 (अ) (iii, iv,v, viii), पृष्ठ सं 6 पैरा 2.2 (2)(iv) पृष्ठ सं 7 पैरा (2.3) (2) पृष्ठ सं 8 पैरा (2.3) (7) संशोधित।

क-V समपार 230/सी (भोजीपुरा-दोहना) पृष्ठ संख्या 1 से 12 तक जोड़े गये।

क-VI समपार 231/सी (भोजीपुरा-इज्जतनगर) पृष्ठ संख्या 1 से 10 तक जोड़े गये।

### परिशिष्ट ख -

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1.1, 1.2,1.3 आर0डी0 एस0आई0पी0 एवं पी0डी0 संशोधित।
2. पृष्ठ संख्या 12 पैरा 8 वीडर काउन्टर ब्लाक यंत्र तथा एक्सल काउन्टर संशोधित।
3. पृष्ठ संख्या 17 पैरा 11 (vi,vii,viii,x,xi,xii,xiii) समपार सं 230, 231 जोड़ कर किमी0 संशोधित।
4. आर0डी0 संख्या उपमुसिदूर्ई/नि/आई0जेड0एन0/2011/आर0डी0/9 दिनांक 28.12.11 को आर0डी0 संख्या उपमुसिदूर्ई/नि/आई0जेड0एन0/2011/आर0डी0/9 Alt 'A' दिनांक 18.9.2012 द्वारा बदला गया।
5. पी0डी0 संख्या उपमुसिदूर्ई/नि/आई0जेड0एन0/2011/पी0डी0/10 दिनांक 28.12.11 को पी0डी0 संख्या उपमुसिदूर्ई/नि/आई0जेड0एन0/2011/पी0डी0/10 Alt 'A' दिनांक 18.9.2012 द्वारा बदला गया।

(के0एस0सोनाल)  
मं0परि0प्र0/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)  
मं0सि0दूर्ई0/इज्जतनगर

(बालक राम)  
मं0सि0दूर्ई0/नि0/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

संख्या-इज्जतनगर/46

## पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मण्डल

### भोजीपुरा जं० स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (छोटी / बड़ी लाइन)

जारी तिथि 06.3.12

लागू तिथि 27.3.12

पुनरीक्षण तिथि March-17

”बी” श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक III बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित )

### पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

**टिप्पणी** : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/46 दिनांक 28.1.2011 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

#### 1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी० एस० टी० ई० / पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER/ IZN/ BPR/ SIP/ 2011/ VER-ZERO /9 Alt. “C” पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 9 Alt”A’ दिनांक 18.9.2012 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

#### 2. स्टेशन का विवरण :

##### 2.1. सामान्य (स्थिति) :

भोजीपुरा जं० स्टेशन बरेली जं० - लालकुआ - मैलानी जं० मार्ग पर इकहरी छोटी / बड़ी लाइन पर ”बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन बरेली जं० से 19.31 किमी०, लालकुआ जं० से 64.77 तथा मैलानी जं० से 106.21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

##### 2.2. दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

देवरनिया बी०जी० (पूर्व दिशा में) : 14.88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

सेथल एम०जी० (पूर्व दिशा में ) : 12.48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

दोहना एम०जी० (पश्चिम दिशा में) : 4.43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

इज्जतनगर बी०जी० (पश्चिम दिशा में ) : 12.07 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(i) आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :- इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

- (ii) **बाहरी साइडिंग :-** कोई नहीं।
- (iii) **नान-ब्लाक हाल्ट स्टेशन :-**
- (क) दोहना हाल्ट(बी०जी०) इस स्टेशन से 4.43 किमी० की दूरी पर भोजीपुरा- इज्जतनगर के मध्य स्थित है।
- (ख) दिबनापुर हाल्ट इस स्टेशन से 8.05 किमी० की दूरी पर भोजीपुरा- सेथल के मध्य स्थित है।
- (ग) आटामाण्डा हाल्ट इस स्टेशन से 7.64 किमी० की दूरी पर भोजीपुरा- देवरनिया के मध्य स्थित है।

### 2.3. स्टेशन के तीनों ओर के ब्लाक खण्ड :

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है
भोजीपुरा - देवरनिया (बी०जी०)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 (भोजीपुरा)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (देवरनिया)
भोजीपुरा - सेथल (एम०जी०)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 42 (भोजीपुरा )	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (सेथल)
भोजीपुरा - दोहना (एम०जी०)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 49 (भोजीपुरा )	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (दोहना)
भोजीपुरा- इज्जतनगर (बी०जी०)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 (भोजीपुरा )	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (इज्जतनगर)

2.4 **ढलान ( ग्रेडियेन्ट ) यदि कोई हो :** कुछ नहीं।

### 2.5 अभिन्यास (ले-आउट) :

अभिन्यास 2 बी०जी तथा 2 एम०जी सहित 4 लाइनो का है। बी०जी० लाइन संख्या 1, 2 तथा एम०जी० लाइन संख्या 1, 2 परिचालित लाइने है ।

#### 2.5.1. परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :

(क)

रनिंग लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
<b>बड़ी लाइन</b>		
लाइन संख्या-1	720 मीटर	मध्यम तल प्लेटफार्म लाइन, दोहना छोर पर डैड एण्ड
लाइन संख्या-2	720 मीटर	मेन लाइन देवरनिया छोर पर डैड एण्ड
<b>छोटी लाइन</b>		
लाइन संख्या-1	600 मीटर	प्लेटफार्म लाइन , दोहना छोर पर सैण्ड हम्प प्रदत्त
लाइन संख्या-2	550 मीटर	प्लेटफार्म लाइन वाली लूप लाइन, दोहना छोर पर सैण्ड हम्प प्रदत्त

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

- (ख) एम०जी० परिचालित लाइन संख्या-2, दोहना तथा सेथल की ओर से सीधी लाइन है। बी०जी० गाड़ियों के लिये कोई सीधी लाइन नहीं है। सभी परिचालित लाइन ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किट अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तक तथा उसके आगे दोनों ओर 5 रेल की लम्बाई तक दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के अभिधृत (आक्वूपाई) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल और सफेद प्रकाश के रूप में दिया हुआ है।
- (ग) अप अथवा डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

### 2.5.2. अपरिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :

इस स्टेशन बी०जी० अथवा एम०जी० पर कोई अपरिचालित लाइन नहीं है।

### 2.5.3 अभिन्यास (ले-आउट) में मुख्य विशेषताएं :

- (i) सेथल साइड में अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 42 और होम सिगनल की दृश्यता तीव्र गोलाई के कारण अवरुद्ध है।
- (ii) सेथल / देवरनिया साइड में बी०जी० / एम०जी० डायमण्ड क्रॉसिंग प्रदत्त है। बी०जी० गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के लिये कौटा संख्या 201A-201B को सैट एवं लाक किया जाता है।

### 2.6. समपार फाटक :

- i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है।

गेट सं० एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
<b>परिचालन समपार फाटक</b>						
228-सी	डाउन होम सिग० एस 41 तथा अप अग्रिम प्रस्थान सिग० सं० एस 42 के मध्य (सेथल साइड)	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
1-सी	अप अग्रिम प्रस्थान सिग० सं० एस 2 तथा शन्ट सिग० सं० एस एच 31 के मध्य (देवरनिया साइड)	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
229-सी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 49 तथा शन्ट सिगनल सं० एस एच 32 के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।  
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

इंजीनियरिंग समपार फाटक						
3- सी	भोजीपुरा - देवरनिया के मध्य किमी० 3/8-9	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
229A- सी	भोजीपुरा- दोहना के मध्य किमी० 301/8-9	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
230- सी	भोजीपुरा- दोहना के मध्य किमी० 303/1-2	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
231- सी	भोजीपुरा- इज्जतनगर किमी० 304/2-3 (केवल B.G)	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

- ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क', से 'क-VI" देखें।
3. संचालन की पद्धति एवं साधन : अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनो दोहना, इज्जतनगर, सेथल तथा देवरनिया से इकहरी लाइन पर "पूर्ण ब्लाक पद्धति" कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/ असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
<b>एम०जी० खण्ड पर</b> 1- दूरभाष युक्त इकहरी लाइन वाला नील्स का टोकन ब्लाक यन्त्र <b>भोजीपुरा</b> तथा <b>सेथल</b> स्टेशन के साथ सम्बद्ध 2- दूरभाष युक्त पुश बटन टाइप इकहरी लाइन वाला टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र <b>दोहना</b> के साथ सम्बद्ध	सहकारी  असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-
<b>बी०जी० खण्ड पर</b> 1- दूरभाष युक्त डायडो टाइप इकहरी लाइन वाला टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र एक्सल काउन्टर के साथ <b>इज्जतनगर</b> तथा <b>देवरनिया</b> स्टेशनों के साथ अलग-अलग सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

(सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.04, से 14.06, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

**टिप्पणी** : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रो को संचालित करता है।

( सहायक नियम 14.02(v)] साधारण नियम 14.03 तथा साधारण एवं सहायक नियम 14.04 देखें।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूर्ई/नि/लखनऊ

#### 4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling & Interlocking) की पद्धति :

##### 4.1 विशेष संकेतन के लक्षणों सहित संकेतन के प्रकार :

भोजीपुरा स्टेशन अन्तर्पाशन मानक-III बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है । सभी कॉर्टों एवं सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर के पैनल द्वारा किया जाता है। यहाँ सभी परिचालित लाइनों पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है।

##### प्रदत्त सिगनल :

(1) एम०जी० खण्ड पर :-

(क) अप आगमन सिगनल (दोहना से ) :-

(i) अप डिस्टेन्ट सिगनल संख्या ए 50 होम सिगनल संख्या एस 50 के संकेतों पर आधारित होम सिगनल संख्या एस 50 के संकेत निम्नलिखित हैं -

(ii) अप होम सिगनल संख्या एस 50 लूप लाइन संख्या 1 के लिये बॉया जं० इंडिकेटर सहित

(iii) अप होम सिगनल संख्या एस 50 मेन लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित

(ग) अप प्रस्थान सिगनल (सेथल को)

(i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 44 मेन लाइन संख्या 2 से

(ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 46 लूप लाइन संख्या 1 से

(iii) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 42 ब्लाक यन्त्र के 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(घ) डाउन आगमन सिगनल ( सेथल से )

(i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल संख्या ए 41 होम सिगनल संख्या एस 41 के संकेतों पर आधारित होम सिगनल संख्या एस 41 के संकेत निम्नलिखित हैं -

(ii) डाउन होम सिगनल संख्या एस 41 मेन लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित

(iii) डाउन होम सिगनल संख्या एस 41 लूप लाइन संख्या 1 के लिये जं० इंडिकेटर सहित

(ङ) डाउन प्रस्थान सिगनल (दोहना को)

(i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 45 मेन लाइन संख्या 2 से

(ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 47 लूप लाइन संख्या 1 से

(iii) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 49 ब्लाक यन्त्र के 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूर्ई/नि/लखनऊ

(च) अतिरिक्त सिगनल (एम०जी०) :-

(i) कालिंग आन सिगनल :-

कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-48	अप होम सिगनल संख्या एस-50 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह <b>दोहना</b> साइड से लाइन सं० 1, अथवा 2 में आने के लिये है
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-43	डाउन होम सिगनल संख्या एस-41 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह <b>सेथल</b> साइड से लाइन सं० 1, अथवा 2 में आने के लिये है

(ii) शन्ट सिगनल :-

आश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगलन संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 64	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 44	लाइन सं० 2 से सेथल छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 42 तक शंटिंग के लिये
एस एच 66	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 46	लाइन सं० 1 से सेथल छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 42 तक शंटिंग के लिये
एस एच 65	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 45	लाइन सं० 2 से दोहना छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 49 तक शंटिंग के लिये
एस एच 67	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 47	लाइन सं० 1 से दोहना छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 49 तक शंटिंग के लिये

अनाश्रित शन्ट सिगनल	
शन्ट सिगलन संख्या	विवरण
एस एच 71	सेथल छोर पर लाइन सं० 1, या 2 में शंटिंग के लिये आने हेतु
एस एच 72	दोहना छोर पर लाइन सं० 1, या 2 में शंटिंग के लिये आने हेतु

(2) बी० जी० खण्ड पर :-

(क) अप आगमन सिगनल (इज्जतनगर से) :-

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल संख्या ए 12 होम सिगनल संख्या एस 12 के संकेतों पर आधारित होम सिगनल संख्या एस 12 के संकेत निम्नलिखित हैं -
- (ii) अप होम सिगनल संख्या एस 12 लूप लाइन संख्या 1 के लिये बॉया जं० इंडिकेटर सहित
- (iii) अप होम सिगनल संख्या एस 12 मेन लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल) (बालक राम)  
मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर मसिदूई/नि/लखनऊ

(ग) अप प्रस्थान सिगनल (देवरनिया को)

- (i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 4 मेन लाइन संख्या 2 से
- (ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 6 लूप लाइन संख्या 1 से
- (iii) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 ब्लाक यन्त्र के 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(घ) डाउन आगमन सिगनल ( देवरनिया से )

- (i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल संख्या ए 1 होम सिगनल संख्या एस 1 के संकेतों पर आधारित होम सिगनल संख्या एस 1 के संकेत निम्नलिखित हैं -
- (ii) डाउन होम सिगनल संख्या एस 1 मेन लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (iii) डाउन होम सिगनल संख्या एस 1 लूप लाइन संख्या 1 के लिये जं० इंडिकेटर सहित

(ङ) डाउन प्रस्थान सिगनल (इज्जतनगर को)

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 5 मेन लाइन संख्या 2 से
- (ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 7 लूप लाइन संख्या 1 से
- (iii) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 ब्लाक यन्त्र के 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(च) अतिरिक्त सिगनल (बी०जी०) :-(i) कालिंग आन सिगनल :-

कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-10	अप होम सिगनल संख्या एस-12 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह <b>इज्जतनगर</b> साइड से लाइन सं० 1, अथवा 2 में आने के लिये है
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-3	डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह <b>देवरनिया</b> साइड से लाइन सं० 1, अथवा 2 में आने के लिये है

(ii) शन्ट सिगनल :-

आश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगल संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 24	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 4	लाइन सं० 2 से देवरनिया छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये
एस एच 26	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6	लाइन सं० 1 से देवरनिया छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूर्ई/नि/लखनऊ



एस एच 25	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 5	लाइन सं० 2 से इज्जतनगर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये
एस एच 27	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 7	लाइन सं० 1 से इज्जतनगर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये

अनाश्रित शन्ट सिगनल	
शन्ट सिगलन संख्या	विवरण
एस एच 31	देवरनिया छोर पर लाइन सं० 1, या 2 में शंटिंग के लिये आने हेतु
एस एच 32	इज्जतनगर छोर पर लाइन सं० 1, या 2 में शंटिंग के लिये आने हेतु

**पुनरावर्तक (रिपीटर) :-** कोई नहीं।

- 4.1.(क) सभी काँटों एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं सिगनलों के प्रचालन हेतु स्विच प्रदत्त हैं। अप एवं डाउन छोरों के लिये पृथक-पृथक दो ग्रुप पुश बटन भी दिये गये हैं।
- (ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल हैं।
- (ग) दोनों ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पॉइंट में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन संकेतक दिये गये हैं। जँक्शन संकेतक सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पॉइंट में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ लूप मार्ग (डाइवर्जिंग रुट) इंगित करेगीं।
- (घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल विद्युत यन्त्र की "ट्रेन गोइंग टू" दशा से नियन्त्रित है। अग्रिम प्रस्थान सिगनल की आफ स्थिति सभी गाहियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार होने के कारण इसके विफल होने पर पेपर लाइन क्लीयर प्रणाली लागू की जायेगी।
- (ङ) स्टेशन मास्टर, काँटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर नियन्त्रण चाबी जो पैनल मुक्तक पाश (पैनल रिलीज लाक) को पाशित करती है, द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है, यह विद्युतीय रूप से काँटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण वियोजित कर देता है। जब तक यह चाबी लगाकर घुमायी न जाये, काँटों एवं सिगनलों के थम्ब स्विचों का प्रचालन अथवा रूट बटनों का दबाये जाने पर कोई परिणाम नहीं देगा।
- (च) कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल स्विच को मध्य स्थिति में करके तथा सम्बन्धित EUYN बटन दबाकर सिगनलों को "आन" स्थिति में वापस कर सकता है। निरस्त करने पर जब काँटा स्विच का लाक लाइट अदृश्य हो जाय तब मार्ग बदला जा सकता है।
- (छ) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल) (बालक राम)  
मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर मसिदूई/नि/लखनऊ

4.1.1 **काँटा स्विच संकेत** :- स्टेशन मास्टर के पैनल पर स्विच के ऊपर काँटों के सामान्य अथवा विपरीत स्थिति में पूर्णतया सैट एवं लाक होने के संकेत क्रमशः 'एन' अथवा 'आर' के रूप में दिये गये जो क्रमशः सामान्य स्थिति में सूक्ष्म सफेद प्रकाश तथा रिवर्स स्थिति में सूक्ष्म हरा प्रकाश प्रकाशित होता है। ऐसे काँटों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। काँटा स्विच के केन्द्र में एक छोटा लाल प्रकाश जलने पर यह निर्देशित करेगा कि काँटे विद्युतीय रूप से लाकड हो गये है। ऐसी स्थिति में स्विच को प्रचालित करने हेतु नहीं घुमाना चाहिए।

4.1.2 **ट्रैक सर्किटिंग** :- परिचालित लाइन संख्या 1, तथा 2 ट्रैक सर्किटेड है। स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर सम्बन्धित लाइन के ट्रैक सर्किटेड भाग को अतिरिक्त मोटी रंगी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब ट्रैक सर्किटेड भाग आक्यूपाइड/विफल होता है तब पैनल पर इस भाग पर सूक्ष्म लाल प्रकाश जलेगा। इन ट्रैक सर्किटों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में इसे आक्यूपाइड मानकर स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रैक सर्किट रिक्त होने का सुनिश्चय भौतिक सत्यापन द्वारा करना अनिवार्य है।

4.1.3 **स्टॉप प्लग** :- स्विच रोक प्लग पैनल के प्लग स्टोरेज स्थान पर प्रदत्त है। जब कभी सिगनल और या काँटा स्विचों के एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रचलन को रोकना हो तो इन प्लगों को स्विचों के पास प्रदत्त छेदों में लगा देना चाहिए। ये प्लग स्टेशन मास्टर के लिये अनुस्मारक का कार्य करेगी।

**नोट :-** स्टेशन मास्टर पैनल के संचालन, विभिन्न स्विचों आदि तथा पैनल पर प्रदर्शित सभी इंडिकेशन का विस्तृत विवरण सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' में देखें।

4.1.4 **स्थाई रूप से ताला बन्द काँटें/पृथक्करण (आइसोलेशन) :**

- (i) इस स्टेशन पर बी० जी० अथवा एम० जी० में कोई स्थायी रूप से ताला बन्द काँटा नहीं है।
- (ii) बी०जी० मेन लाइन संख्या 2 को लूप लाइन संख्या 1 से दोनों छोर पर डेड एण्ड द्वारा पृथक किया गया है।
- (iii) एम०जी० मेन लाइन संख्या 2 को लूप लाइन संख्या 1 से एक छोर पर डेड एण्ड तथा दूसरे छोर पर सैण्ड हम्प द्वारा पृथक किया गया है।
- (iv) **साइडिंग कांटों का संचालन :-** कोई नहीं।

4.1.6 **विद्युत चालित काँटा मशीन/ क्रैन्क हैण्डल :**

- (क) काँटा संख्या- 201A -201B, 202A-202B, 203A- 203B, 206A-206B, 207, 208A-208B मोटर चालित काँटें है तथा प्रत्येक काँटें पर विद्युत काँटा मशीन लगी है। सामान्यतः ये काँटें स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते है। विफलता की दशा में इन्हें स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त यन्त्र रचना से मुक्त कराये गये क्रैन्क हैण्डल द्वारा प्रचालित किया जायेगा। इनकी सही सेटिंग सुनिश्चित करना स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मुसिदूई/नि/लखनऊ

इस दशा में काँटों का ठीक ढंग से सेट करना एवं जहाँ आवश्यक हो, पाशित करना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यरत स्टेशन मास्टर का है। क्रैंक हैण्डिल के प्रचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट “ख” तथा साधारण नियम 3.38(क) एवं (ख), 3.39 एवं सहायक नियम 3.39 (ii) देखें।

**क्रैंक हैण्डिल द्वारा नियन्त्रित काँटों का विवरण निम्न प्रकार है :-**

क्र०संख्या	क्रैंक हैण्डिल संख्या	क्रैंक हैण्डिल द्वारा नियन्त्रित काँटों की संख्या
1	सी एच - 1	201A - 201B, (BG)
2	सी एच - 2	202A - 202B, (BG)
3	सी एच - 3	203A - 203B, (BG)
4	सी एच - 4	206A - 206B, (MG)
5	सी एच - 5	207 (MG)
6	सी एच - 6	208A - 208B, (MG)

(ख) प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैंक हैण्डिल द्वारा परिचालित काँटों के हाथ द्वारा प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्न प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिए

क्रम संख या	क्रैंक हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैंक हैण्डिल चाबी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैंक हैण्डिल चाबी निकालने का उद्देश्य विफलता/परीक्षण	क्रैंक हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैंक हैण्डिल चाबी वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	/	9	10

**4.2 रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पध्दति :-**

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस०एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस०एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी सौंपनी चाहिए।

**4.3 विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)**

विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग एवं अन्य काँटा तथा सिगनल संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्टेशन पर आई०पी०एस० की व्यवस्था की गयी है।

(आई०पी०एस० की कार्य प्रणाली तथा विफलता के समय अपनायी जाने वाली प्रक्रिया हेतु सिगनलिंग परिशिष्ट ‘ख’ देखें )

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।  
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

#### 4:4 वीडर काउन्टर :-

पैनल पर निम्नलिखित छः वीडर काउन्टर का प्रावधान हैं जो पैनल द्वारा संबंधित संचालन के पश्चात् एक अंक बढ़ जाते हैं :-

1. डाउन आपात्कालीन रूट कौन्सिलेशन वीडर काउन्टर बी० जी० एवं एम०जी० के लिये अलग-अलग (EUYN)
2. अप आपात्कालीन रूट कौन्सिलेशन वीडर काउन्टर बी० जी० एवं एम०जी० के लिये अलग-अलग (EUYN)
3. अप कालिंग आन सिगनल के लिये वीडर काउन्टर एम०जी० एवं बी०जी० अलग-अलग
4. डाउन कालिंग आन सिगनल के लिये वीडर काउन्टर एम०जी० एवं बी०जी० अलग-अलग
5. कालिंग आन सिगनल के लिये रूट रिलीज वीडर काउन्टर एम०जी० एवं बी०जी० अलग-अलग
6. क्रैंक हैण्डिल नियन्त्रण के लिये वीडर काउन्टर बी०जी० एवं एम०जी० अलग-अलग
7. ब्लाक यंत्र वीडर काउन्टर बी०जी० (देवरनिया एवं इज्जतनगर) एवं एम०जी० (दोहना) के लिए
8. एक्सल काउन्टर का वीडर काउन्टर बी०जी० (देवरनिया एवं इज्जतनगर) के लिए

जब सम्बन्धित स्विच को जिसके लिये यह वीडर गणक प्रदत्त है, को चलाया जाता है तब हर बार एक उच्च डिजिटल संख्या सम्बन्धित वीडर गणक पर उभरती हैं। हर बार जब क्रैंक हैण्डिल का उपयोग किया जाय, तो वह संख्या जैसी कि वीडर काउन्टर द्वारा दर्ज की गयी है, को पैरा 7.3 (च) के कालम संख्या 6 में प्रविष्टि किया जाय और कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन के कार्यभार का आदान-प्रदान करते समय वीडर गणकों द्वारा दर्शायी जाने वाली संख्या को स्टेशन डायरी में लिखा जाये। सभी वीडर काउन्टरों की पंजीकृत संख्या रिकार्ड करने के लिये अलग पंजिका अनुरक्षित करें।

#### 5. दूर संचार :- स्टेशन मास्टर कार्यालय में निम्नलिखित टेलीफोन प्रदत्त है -

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बन्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन
- iii) देवरनिया स्टेशन के टोकेनलैस उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- iv) इज्जतनगर स्टेशन के टोकेनलैस उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- v) सेथल स्टेशन के टोकेनलैस उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- vi) दोहना स्टेशन के टोकेनलैस उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- vii) इंजी० समपार फाटक सं० 229A/सी (भोजीपुरा-दोहना) से सम्बन्ध टेलीफोन (एम०जी० एवं बी०जी० दोनो के लिए)
- viii) इंजी० समपार फाटक सं० 3/सी (भोजीपुरा-देवरनिया) से सम्बन्ध टेलीफोन (एम०जी० एवं बी०जी० दोनो के लिए)
- ix) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 228/सी (भोजीपुरा-सेथल) से सम्बन्ध टेलीफोन (एम०जी० एवं बी०जी० दोनो के लिए)
- x) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 1/सी (भोजीपुरा-देवरनिया) से सम्बन्ध टेलीफोन (एम०जी० एवं बी०जी० दोनो के लिए)
- xi) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 229/सी (भोजीपुरा-दोहना) से सम्बन्ध टेलीफोन (एम०जी० एवं बी०जी० दोनो के लिए)
- xii) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 230/सी (भोजीपुरा-दोहना) से सम्बन्ध टेलीफोन (एम०जी० एवं बी०जी० दोनो के लिए)
- xiii) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 231/सी (भोजीपुरा-इज्जतनगर) से सम्बन्ध टेलीफोन (केवल बी०जी० दोनो के लिए)
- xiv) वी०एच०एफ० सैट 25 वाट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11 देखें)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

### 6. गाड़ी संचालन की प्रणाली :-

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42, 8.03(2), 8.10 एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेंगे।

#### (1) गाड़ियों का आगमन :

जब बी०जी०/एम०जी० परिचालित लाइन संख्या 1 या 2 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

(क). जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपेन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।

(ख). स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।

(ग). सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर आगमन कराना है, वह साफ एवं बाधा रहित है। लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए :-

#### (i) अप गाड़ियों के लिये -

(अ) बी०जी० में लाइन संख्या 1 एवं 2 पर आगमन हेतु डैड एण्ड तक अथवा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक

(ब) एम०जी० में लाइन सं० 1 पर आगमन हेतु अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस० 46 से आगे डैड एण्ड तक

(स) एम०जी० में लाइन सं० 2 पर आगमन हेतु अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस० 42 तक

#### (ii) डाउन गाड़ियों के लिये -

(अ) बी०जी० में लाइन संख्या 1 पर आगमन हेतु डैड एण्ड तक

(ब) बी०जी० में लाइन संख्या 2 पर आगमन हेतु डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक

(स) एम०जी० में लाइन संख्या 2 व 1 पर आगमन हेतु सैण्ड हम्प तक अथवा डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 49 तक

(घ). सुनिश्चित करें कि अप गाड़ी के बी०जी०/एम०जी० लाइन संख्या 1 या 2 पर आगमन के लिये गेट सं० 229/C को बन्द एवं लाक कर दिया गया है तथा गेट नियन्त्रण स्विच सं० 'क्यू' लाकड स्थिति में घुमा दिया गया है। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा।

इसी प्रकार सेथल से डाउन गाड़ी के एम०जी लाइन संख्या 1 या 2 पर आगमन के लिये गेट सं० 228/C को बन्द एवं लाक कर दिया गया है तथा गेट नियन्त्रण स्विच सं० 'आर' को घुमा दिया गया है, तथा देवरनिया से डाउन गाड़ी बी०जी० लाइन सं० 2 या 1 पर आगमन के लिये गेट सं० 1/C एवं 229/C को और लाइन सं० 1 पर डैड एण्ड बनाकर लेते समय गेट सं० 1/C को बन्द एवं लाक कर दिया गया है तथा गेट नियन्त्रण स्विच क्रमशः 'पी' एवं 'क्यू' को लाकड स्थिति में घुमा दिया गया है। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा।

(ङ). आने वाली गाड़ी के लिये वाँछित रूट लगायें तथा होम सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल सिगनल स्विच घुमायें एवं रूट बटन एक साथ दबायें। सिगनल आफ हो जायेगा तथा सम्बन्धित लाइन पर ओवर लैप तक का रूट प्रकाशित होने लगेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवर लैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेगी।
- (छ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि कॉटों के निकट सूक्ष्म सफेद बत्ती जल गयी है जो सम्बन्धित कॉटों के सैट की स्थिति में कॉटों लाक होने की सूचक है। इसके साथ ही देख ले कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का 'आफ' आस्पैक्ट भी पैनल पर आ गया है।
- (ज) यह सुनिश्चित कर लेने के बाद की गाड़ी पूरी आ गयी है तथा कांटे एवं उल्लंघन चिह्न साफ हो गये हैं, कार्यरत स्टेशन मास्टर कांटों और सिगनल स्विचों को सामान्य स्थिति में ला देगा तथा एस आर 5.19 के अनुपालन में पीछे के / आगे के जैसी स्थिति हो, कॉटों को रिवर्स सैट करेगा। पैनल कन्ट्रोल चाबी निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें। (ब्लॉक लाइन के विरुद्ध कॉटों को सैट करने के लिये सा० एवं सहायक नियम 5.19 देखें )

### 6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, काँटा वाला, एवं फाटकवाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

#### 6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी :-

##### दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	03	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

##### सौंध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	03	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

#### 6.1.2 लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। (साधारण नियम 3.38(ग), 3.40(3) देखें)

#### 6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या उससे अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) तथा परिचालन नियमावली अध्याय 3 का पैरा 3003 देखें)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूर्ई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

## 6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें (बी०जी० एवं एम०जी०) :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) देवरनिया से डाउन गाड़ियों के लिये गेट सं० 3/सी एम०जी० अप गाड़ियों के मामले में समपार संख्या 229A/सी, 230/सी तथा बी०जी० अप गाड़ियों के लिये गेट संख्या 229/सी, 230/सी, 231/सी के फाटक वाले को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये गेट अनुदेश के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधा० एवं सहा० नियम 8.03(2)(क) (ख) (ग) तथा सहा० नियम 8.03 (i), (ii) (iii) (iv) देखें)

### 6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-

**विचलन :-** सामान्य नियम 3.04 (i)(b) के अनुसार गाड़ियों के आगमन के लिये पर्याप्त दूरी सामान्यतः गाड़ी रुकने के स्थान से मापी गयी है।

#### 6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

#### 6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।

#### 6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

#### 6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

#### 6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई कॉमन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

#### 6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना कोई नहीं।

### 6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्तें :

- (क) परिचालित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन कराना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध है।
- (ख) गाड़ी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख / अनुमुख काँटों वाँछित लाइन के लिये सेट और पाशित है।
- (ग) लाइन, जिस पर गाड़ी लेनी है, सम्मुख काँटों के आगे गाड़ी के सम्मुख पड़ने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल / डेड एण्ड / सैण्ड हम्प तक साफ है।
- (घ) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित लाइन पर लाइन साफ होने का इंडिकेशन उपलब्ध है।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

(इ) सुनिश्चित करें कि अप गाड़ी के बी०जी०/एम०जी० लाइन संख्या 1 या 2 पर आगमन के लिये गेट सं० 229/C को बन्द एवं लाक कर दिया गया है तथा गेट नियन्त्रण स्विच 'क्यू' लाकड स्थिति में घुमा दिया गया है। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा।

इसी प्रकार सेथल से डाउन गाड़ी के एम०जी लाइन संख्या 1 या 2 पर आगमन के लिये गेट सं० 228/C को बन्द एवं लाक कर दिया गया है तथा गेट नियन्त्रण स्विच सं० 'आर' को तथा देवरनिया से डाउन गाड़ी बी०जी० लाइन सं० 2 या 1 पर आगमन के लिये गेट सं० 1/C एवं 229/C को और लाइन सं० 1 पर डैड एण्ड बनाकर लेते समय गेट सं० 1/C को बन्द एवं लाक कर दिया गया है तथा गेट नियन्त्रण स्विच क्रमशः 'पी' एवं 'क्यू' को लाकड स्थिति में घुमा दिया गया है। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा।

6.3.1 **“आफ” किये गये सिगनल को पुनः “आन” करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदरायित्व :-**

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 **गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-**

(i) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ आगमन की अनुमति है।

(ii) गाड़ियों का साथ-साथ आगमन एवं प्रस्थान निम्न प्रकार है :-

(क) एम०जी० अप गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन, और

एम०जी० डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 2 पर आगमन

(ख) बी०जी० अप गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन (डैड एण्ड बनाकर)

तथा,

बी०जी० अप गाड़ी का लाइन संख्या 2 से प्रस्थान, या

बी०जी० डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन (डैड एण्ड बनाकर)

और

बी०जी० डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 2 से प्रस्थान

(ग) डायमण्ड क्रासिंग कॉटा संख्या 201A-201B को बी०जी० गाड़ियों के आगमन अथवा प्रस्थान के लिये सैट कर दिये जाने के बाद एम०जी० की अप गाड़ियों का प्रस्थान तथा डाउन गाड़ियों का आगमन नहीं किया जा सकता।

(घ) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है।

(साधारण नियम 5.01(14) देखें)

6.5 **गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-**

(क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एल०वी०बोर्ड / फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी गयी है / चली गयी है।

(ख) रुकने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में वह गार्ड से इस उद्देश्य हेतु कॉटावाला / सक्षम रेल कर्मचारी द्वारा भेजी गयी पूर्ण आगमन पुस्तिका के निर्धारित प्रपत्र टी/1410 पर पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस नहीं प्राप्त कर लेता है एवं उल्लंघन चिन्ह साफ होने के बारे में सन्तुष्ट नहीं हो जाता है। (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ



इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।  
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

### 6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :-

जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि सलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करें और -

- (क) जाँचें कि आक्यूपाइड भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपैन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है। साथ ही सुनिश्चित करें कि सेथल को अप गाड़ियों के मामले में ट्रैफिक गेट सं० 228/सी एवं देवरनिया को अप गाड़ी के लिये गेट सं० 1/C तथा एम०जी० डाउन गाड़ियों के मामले में गेट सं० 229/सी, को बन्द एवं लाक कर दिया गया है और सम्बन्धित गेट नियन्त्रण स्विच क्रमशः 'आर' 'पी' 'क्यू' जैसी आवश्यकता हो, को लाकड स्थिति में घुमा दिया गया है। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा।  
साथ ही सुनिश्चित करें कि देवरनिया को अप गाड़ी प्रस्थान के मामले में इंजी० गेट संख्या 3/सी अथवा दोहना को एम०जी० डाउन गाड़ी प्रस्थान के मामले में इंजी० गेट संख्या 229A/सी, 230/सी अथवा इज्जतनगर बी०जी० डाउन गाड़ियों के लिये गेट संख्या 229A/सी, 231/सी के फाटकवालों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित कर दिया गया है।
- (ख) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (ग) गाड़ी के प्रस्थान हेतु मार्ग सेट करने के लिये सम्बन्धित काँटा स्विच को वाँछित स्थिति में घुमायें।
- (घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल तथा प्रस्थान सिगनल के स्विचों को वाँछित स्थिति में घुमायें और सम्बन्धित रूट बटन को दबायें। तब उस मार्ग पर जिसके लिये सिगनल दिये गये हैं एक सफेद/पीला प्रकाश प्रकट होगा। अग्रिम प्रस्थान एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" संकेत प्रदर्शित करेंगे जो पैनल पर इंगित होगा। इसके पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर डिपार्टिंग बैल बजाकर गाड़ी के गार्ड को गाड़ी चलाने के लिये प्राधिकृत करें।
- (ङ) गाड़ी के द्वारा ट्रैक सर्किटों का अभिधारण होने पर सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपैन्सी बत्ती (लाल) जल जानी चाहिये और जब गाड़ी इन पर से गुजर कर इनको साफ कर दे तो बुझ जानी चाहिये।
- (च) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी चली गयी है तथा काँटों एवं उल्लंघन चिन्हों को साफ कर दिया गया है, काँटों एवं सिगनल स्विचों को सामान्य दशा में वापस कर देना चाहिये।
- (छ) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज होने पर परिचालित लाइन का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

### 6.6(i) प्रस्थान सिगनल "आफ" करने की शर्तें :

- (क) उस ब्लाक स्टेशन से जिस को गाड़ी भेजनी है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।
- (ग) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित साफ संकेत उपलब्ध हो।
- (घ) सेथल को अप एम०जी० गाड़ियों के मामले में ट्रैफिक गेट सं० 228/सी एवं देवरनिया को अप बी०जी० गाड़ी के लिये गेट सं० 1/C तथा डाउन एम०जी० गाड़ियों के मामले में गेट सं० 229/सी, को बन्द एवं लाक कर दिया गया हो और सम्बन्धित गेट नियन्त्रण स्विच क्रमशः 'आर', 'पी', 'क्यू' जैसी आवश्यकता हो, को लाकड स्थिति में घुमा दिया गया हो। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा।

इसी प्रकार देवरनिया को अप बी०जी० गाड़ी प्रस्थान के मामले में इंजी० गेट संख्या 3/सी अथवा दोहना को डाउन एम०जी० गाड़ी प्रस्थान के मामले में इंजी० गेट संख्या 229A/सी, 230/सी अथवा इज्जतनगर को डाउन बी०जी० गाड़ी के प्रस्थान के लिये गेट संख्या 229/सी, 230/सी, 231/सी के फाटकवालों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित कर दिया गया हो।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

**6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :-**

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, लोको पायलट एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

**6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन-थ्रू) :**

इस स्टेशन से गाड़ियों को बिना रुके सीधे जाने की अनुमति नहीं है।

**6.8 विफलता के दौरान कार्य पध्दति :-**

काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39(ii) में उल्लिखित पध्दति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख एवं अनुमुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राईवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सा० एवं सहायक नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में स्टेशन के समस्त सिगनल कलर लाइट होने के कारण दिन एवं रात्रि में लगातार जलाये जाये। यदि लाइन क्लियर देते समय सिगनल को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लियर देने के पूर्व स्टेशन मास्टर सा० एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 तक वर्णित कार्यविधि का अनुपालन किया जाये।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधारण एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

**6.9 ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली :-**

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लियर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलों को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलों को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)

मसिदूर्ई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

(घ) टोकेनलैस प्रखण्ड पर मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है अतः ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य ही किया जाय।

साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

#### 7. लाइन अवरुद्ध होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।
2. उस लाइन से सम्बन्धित कॉटें विपरीत सैट करेगा।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिखा नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुद्ध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

#### 7.1 स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्योरिंग:-

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरुद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बाँध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।

- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रेको में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खड़ा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। वाहन/वाहनो/लोड का सिक्योरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्योरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय, तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

**टिप्पणी :**

1. बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
  - (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
  - (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
  - (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
  - (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये।
2. **जहाँ शंटिंग आवश्यक हो, निम्नलिखित सावधानियों बरती जाये :-**
  - (क) जब अकेले रोलर बीयरिंग लगे हुए स्टाक की शंटिंग की जा रही हो तो अधिकतम संघटन गति (Impact Speed) प्रति घन्टा 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  - (ख) जब रोलर बीयरिंग लगे हुए एक साथ जोड़ में पॉच वाहनों की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम प्रभावी संघटन गति 2.4 किमी० प्रति घन्टा से अधिक नहीं होनी चाहिए। साधारण एवं सहायक 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
8. **शन्टिंग :** शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें।
  - 8.1. **ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग :** (आगमन अनुमति देने से पूर्व)
    - (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-
      - i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
      - ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' की दशा में हों।
      - iii) जिस ब्लाक खण्ड में शन्टिंग की जानी है, वह आने वाली गाड़ी से खाली हो।
      - iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाय।
    - (ख) **प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शन्टिंग :** निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-
      - i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
      - ii) सम्बन्धित सिगनल 'आन' की दशा में हों।
      - iii) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
      - iv) चालक को शन्टिंग आदेश T-806 के साथ सम्बन्धित दिशा की शंटिंग चाबी तथा एम०जी० में सेथल साइड की ओर टोकेन भी दिया जाना चाहिये।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

## 8.2. आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने के बाद)

- (क) सम्बन्धित होम एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनलों को "आन" स्थिति में रखते हुये बाह्यतम सम्मुख कॉटो तक शन्टिंग की अनुमति है ।
- (ख) बाह्यतम सम्मुख कॉटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शन्टिंग करने की अनुमति है :-
  - i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
  - ii) होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हों ।
  - iii) सम्बन्धित होम सिगनल एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
  - iv) गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय ।

## 8.3. जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।
- ii) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।
- iii) होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो ।
- iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- v) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति T-806 तथा शंटिंग चाबी दी जाये।

**नोट :** शंटिंग संचालन शन्ट सिगनल आफ करके किये जाये तथा शन्ट सिगनलों के आफ अथवा आन आस्पैक्ट को पैनल पर इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित किया जाय।

8.4.1. **शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :** घने कोहरे एवं धुन्ध में स्टेशन सैक्शन के बाहर शंटिंग न की जाय।

## 8.4.2. शन्टिंग का कोई विशेष पहलू :

1. अप तथा डाउन शंटिंग चाबियों स्टेशन मास्टर कार्यालय में एक अलग-अलग 'ई' प्रकार के ताले और लीवर लाक एसेम्बली में लाक रहती है। इन शंटिंग चाबियों को जिनकी आवश्यकता अग्रिम प्रस्थान सिगनल एवं विपरीत होम सिगनल के मध्य शंटिंग करने के लिये होती है, 'ई' प्रकार के लाक से तभी निकाला जा सकता है जब सम्बन्धित टोकेनलैस यन्त्र "लाइन क्लोज्ड" अथवा "ट्रेन गोइंग टू;" स्थिति में हो। रिलीज़ होने पर इन चाबियों को शंटिंग प्राधिकार के रूप में चालक को दिया जाय।
2. सेथल की ओर होम सिगनल तक शंटिंग करते समय गेट सं० 228/C तथा देवरनिया की ओर गेट संख्या 1/C एवं दोहना की ओर होम सिगनल तक शंटिंग करते समय गेट सं० 229/C को बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व शंटिंग प्रभारी को होगा।
3. **शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-**
  - (i) शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
  - (ii) सही-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
  - (iii) शंटिंग समाप्त होने के पश्चात बैगनों / वाहनों के कपलिंग की जाँच करना

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

(iv) गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है एवं चालक को आगे बढ़ने का संकेत देने से पूर्व कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना

(v) शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखना

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii) )

8.5. स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग : कोई नहीं।

8.6. बहिर्वर्ती(आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि , यदि कोई हो : कोई नहीं।

9. असामान्य परिस्थितियाँ :

(क) असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लियर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन /अथवा वी०एच०एफ०सैट अथवा वी०एच०एफ०सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।

(साधा० एवं सहा० नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधा० एवं सहायक० नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी :

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा अथवा वी०एच०एफ०सैट अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लियर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।

2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा वी०एच०एफ० सैट से लाइन क्लियर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लियर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लियर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।

2.(ख) वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लियर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-

(i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लियर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लियर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगें।

(ii) लाइन क्लियर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।

(iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लियर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

- (iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय।
- 2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।  
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)
3. जब कभी किसी मोटर आपरेटेड काँटों पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त काँटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त काँटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन काँटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परीक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।
- (ख) क्रैन्क हैण्डल द्वारा काँटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि :-  
सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' का पैरा 7 देखें
- (ग) कॉलिंग 'आन' सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाण :-  
ट्रैक सर्किट/एक्सल काउन्टर के खराब होने पर कॉलिंग आन सिगनल आफ करने से पूर्व मार्ग तथा रेल पथ का क्लीयरेंस जिससे गाड़ी को गुजरना है, का सत्यापन कार्यरत स्टेशन मास्टर को स्वयं करना होगा।
- (घ). काँटों, ट्रैक सर्किट/ एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना :  
संकेतन परिशिष्ट "ख" का पैरा 16 को देखें।

### 9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :

#### 1. संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे -

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर।  
(ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,  
(ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।  
(घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन या वी०एस०एन०एल०फोन  
(ङ) नियन्त्रण दूरभाष ,  
(च) वी० एच० एफ० सेट

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)

मसिदूई/नि/लखनऊ

2. इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन :

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा ।  
 (ख) गाड़ी के इंजन द्वारा ।  
 (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर ।  
 (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर ।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये ।

3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमे निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा । अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई602 प्राप्त करेगा ।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है ।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को "आन" स्थिति में पार करने का प्राधिकार ।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा ।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी में लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो ।	

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूर्ई/नि/लखनऊ



<p>2. यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फूलो अधिक हो तो प्रतीक्षरत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा ।</p>	<p>2.इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षरत गाड़ी/गाड़ियों के लिए 'सशर्त लाइन क्लीअर संदेश' प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीअर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे ।</p>
---	--

**टिप्पणी :**

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन / स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख काँटों के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीअर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

**4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों :**

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीअर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीअर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

**9.2. दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन का संचालन : कुछ नहीं।**

- 9.3. **बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :** अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लॉक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिए प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा। विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09 (ii) (iii) (1) (2) (3) देखें।

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल) (बालक राम)  
 मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर मसिदूई/नि/लखनऊ

9.4 विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश :

- (क) इस स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इन्टीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम (IPS) का प्रावधान किया गया है जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेंगे। आई०पी०एस० की मानिट्रिंग के लिये स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियो विजुअल आई०पी०एस० प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है।
- (ख) आडियो विजुअल आई०पी०एस० प्रकाशित बोर्ड पर प्रकाशित सूचनाओं का विवरण तथा आई०पी०एस० की विफलता के दौरान अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली का विवरण परिशिष्ट 'ख' के पैरा 13 में दिया गया है

प्रारूप1. व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :

क्रम सं०	तिथि	IPS का चार्जिंग समय	व्यवसायिक विद्युत विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग के घंटे	

2. डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल की कुल खपत	तेल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :

- (क) अप छोर : दिन एवं रात्रि में बी०जी० में डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस०-7 तथा एम०जी० में एस०-45 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से देता हो।
- (ख) डाउन छोर : दिन एवं रात्रि में बी०जी० में अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस० 4 तथा एम०जी० एस-44 का प्रकाश जैसा कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से देता हो।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर : परिशिष्ट "ड" देखें ।

(अतुल सिंह)  
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)  
मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)  
मसिदूई/नि/लखनऊ

12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फ़ॉग सिगनलमैनो के नाम :

कोहरे के समय फ़ॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फ़ॉग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी ।

13. परिशिष्टों की सूची :

परिशिष्ट "क"	समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट "ख"	संकेतन एवं अर्न्तपाशन की पद्धति
परिशिष्ट "ग"	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)
परिशिष्ट "घ"	गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य
परिशिष्ट "ङ"	स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट "च"	डी०के०स्टेशन,हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम
परिशिष्ट "छ"	विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।

(अतुल सिंह)  
मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)  
मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)  
मसिदूई/नि/लखनऊ

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच )

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

**परिशिष्ट "घ"****1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य**

- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है
1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
  2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोलर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
  3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
  4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
  5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
  6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
  7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
  8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
  9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेंगे।
- (घ). कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

**2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :**

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, काँटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारो का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
5. सभी सिगनल प्रचालनो का नियन्त्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
9. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

### 3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशो का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशो का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना।
2. काँटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में काँटों को सेट एवं पाशित करना।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधो से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
5. यदि आवश्यक हो, तो अनुमुख काँटों के पास रहकर रक्षित करना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
7. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो के अनुसार फाग सिगनल लगाना
9. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
10. उसके प्रभार में काँटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

11. **कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-**

- i) सिगनल, कॉटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
  - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

**टिप्पणी :-** जब कॉटें, कॉटेवाले द्वारा प्रचालित होते हैं, तब वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

4. **गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत फाटकवाला के कर्तव्य**

संचालन नियम के साथ संलग्न सम्बन्धित गेट अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

## परिशिष्टि “इ”

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 1. | हाथ सिगनल बत्ती         | - 06 बैट्री आपरेटेड<br>- 06 के०आयल             |
| 2. | हाथ सिगनल झण्डी         | - 06 हरी तथा 9 लाल                             |
| 3. | पटाखा सिगनल             | - 50   |
| 4. | सुरक्षा जंजीरे          | - 06 तालो सहित                                 |
| 5. | क्लैम्प                 | - 06 तालो सहित बी०जी०<br>- 06 तालो सहित एम०जी० |
| 6. | प्राथमिक चिकित्सा बाक्स | - 01   |
| 7. | फायर बकेट               | - 06   |
| 8. | अग्निशामक यन्त्र        | - 02   |
| 9. | लकड़ी के गुटके          | - 04- बी०जी०<br>-04 एम०जी०                     |

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर



परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर